—: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर) :—

पीठासीन अधिकारी :— श्री राकेश कुमार गुप्ता (आर. ए. एस.)
राजस्व वाद संख्या :— 147/2016

उनवान

विष्णु प्रताप सिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह जाति राजपूत नि0 राजगढ नसीराबाद
वादी :— जरियें अधिवक्ता श्री अजीत सिंह राठौड

बनाम

1. राजा रघुवीर सिंह पुत्र राजा राम सिंह, नि0 132 निर्माण नगर जयपुर,
2. प्रताप सिंह पुत्र राजा राम सिंह, नि0 डी 305 प्रजीत अपार्टमेन्ट पारले पोईन्ट सोमनाथ मन्दिर के पास नेहरू नगर सूरत, गुजरात,
3. गणपत सिंह गौड पुत्र राजा राज सिंह जाति राजपूत नि0 ए—287 तारानगर झोटवाडा जयपुर,
4. रणक सिंह पुत्री भगवान सिंह पत्नी मनोहर सिंह जाति राजपूत नि0 112/68 रामतीर्थ मार्ग अग्रवाल फार्म मानसरोवर जयपुर,
5. मुनेश्वरी राजे पुत्री भगवान सिंह पत्नी कृपाल सिंह जाति राजपूत नि0 सी0 ब्लॉक 317 आईनोक्स सिनेमा के पीछे आम्रपाली सर्किल वैशाली नगर जयपुर,
6. कैलाश राठौड पुत्री राजा राम सिंह, जाति राजपूत नि0 राजगढ़ हाउस न0 3150 23, गुडगांव 122017 हरियाणा,
7. राज0 सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

प्रतिवादीगण :— 2 से 6 जरियें अधिवक्ता श्री करण सिंह
जरियें राज0 पैरोकार, प्रतिवादी संख्या 1 अनुपस्थित

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 राज. काश्त. अधि. 1955

—: निर्णय :— दिनांक :— २.११.२०

अधिवक्ता वादी ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि वादी व प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है। ग्राम राजगढ के खाता संख्या 229/237 किता 19 रकबा 7.80 व 313/303 किता 2 रकबा 3.24 की आराजी वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 6 की पुश्तैनी संयुक्त खातेदारी/काश्तकारी की है। उक्त आराजी में राम सिंह पुत्र राज सिंह के वारिसान का 1/4 हिस्सा निहित है लेकिन प्रताप सिंह पुत्र राम सिंह व कैलाश कंवर पुत्री राम सिंह का नाम त्रुटिपूर्ण तरीके से रामसिंह की विरासत में दर्ज नही हुयी है। जबकि प्रताप सिंह व कैलाश कंवर दोनो का उक्त आराजी में हिस्सा निहित है। अतः उक्त आराजी पर उन्हे हिस्सेनुसार खातेदार घोषित किया जावे। इसी प्रकार आराजी मुतनाजा पर प्रतिवादी संख्या 3 का नाम भरत सिंह पुत्र राज सिंह दर्ज है जबकि प्रतिवादी संख्या 3 का वास्तविक व सही नाम गणपत सिंह पुत्र राज सिंह है। अतः आराजी मुतनाजा पर प्रतिवादी संख्या 3 का सही नाम गणपत सिंह पुत्र राज सिंह दर्ज किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2020.11.06 16:03:48 IST
Reason: SelfAttested

आराजी मुतनाजा उभयपक्ष की संयुक्त खातेदारी की है जिसका विभाजन नही हुआ है। प्रतिवादीगण उक्त आराजी पर दखलदांजी कर रहे है। अतः आराजी मुतनाजा का विधिवत विभाजन किया जावे। प्रतिवादीगण को जरियें स्थायी निषेघाज्ञा से पाबंद किया जावे। वाद पत्र में दर्ज इन्द्राज दुरूस्ती का अनुतोष प्रदान किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 6 ने इकबालिया जवाब के साथ प्रतिदावा पेश कर निवेदन किया कि राम सिंह की विरासत अकेले रघुवीर सिंह के नाम दर्ज कर दी गयी जबकि उक्त आराजी पर कैलाश कंवर का भी हिस्सा निहित है अतः कैलाश कंवर को भी खातेदार घोषित किया जावे।
प्रतिवादी संख्या 4 व 5 ने प्रकरण में इकबालिया जवाब दावा पेश किया।

प्रतिवादी संख्या 3 ने इकबालिया जवाब के साथ प्रतिदावा पेश कर निवेदन किया कि राम सिह की विरासत में अकेले रघुवीर सिंह का नाम दर्ज हो गया है जबकि राम सिंह के अन्य वारिस प्रताप सिंह व कैलाश कंवर का नाम भी दर्ज होना चाहिये था। साथ ही गणपत सिंह का नाम त्रुटिपूर्ण तरीके से भरत सिंह दर्ज हो गया है जिसे दुरूस्त किया जावे।

प्रतिवादी संख्या 2 ने इकबालिया जवाब के साथ प्रतिदावा पेश कर निवेदन किया कि राम सिह की विरासत में अकेले रघुवीर सिंह का नाम दर्ज हो गया है जबकि राम सिंह के अन्य वारिस प्रताप सिंह व कैलाश कंवर का नाम भी दर्ज होना चाहिये था। साथ ही गणपत सिंह का नाम त्रुटिपूर्ण तरीके से भरत सिंह दर्ज हो गया है जिसे दुरूस्त किया जावे।
प्रकरण में निम्न तनकियात कायम की गयी :–

1. आया वादीगण वादग्रस्त आराजरी पर विधिक बंटवारा अनुसार खातेदारी प्राप्ति तथा इन्द्राज दुरूस्ती के अधिकारी है ?

—— वादी

2. आया वादीगण विधिक बंटवारा अनुसार प्राप्त खातेदारी भूमि पर स्थायी निषेघाज्ञा प्राप्ति के अधिकारी है ?

—— वादी

3. आया विधिवत बंटवारा अनुसार प्राप्त खातेदारी भूमि पर तन्हा रघुवीर सिंह के स्थान पर प्रताप सिंह व कैलाश कंवर खातेदारी प्राप्ति के अधिकारी है साथ ही गणपत सिंह का नाम इन्द्राज दुरूस्ती के अधिकारी है ?

—— प्रतिवादी संख्या 2 से 6

4. अनुतोष ?

अधिवक्ता वादी ने वाद के समर्थन में राजस्व अभिलेख व अन्य दस्तावेज पेश किये तथा वादी के बयान दर्ज करवाये।

प्रतिवादीगण ने इकबालिया जवाब पेश किया तथा वादी ने भी प्रतिदावे का खण्डन नही किया है।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया विद्धान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तनकी अनुसार निर्णय निम्नवत् है :–

तनकी संख्या 1 व 2 :–

हाल जमाबंदी में आराजी मुतनाजा वादी व प्रतिवादी संख्या 1, 3 से 5 की

उपखण्ड अधिकारी
निजामाबाद (आजमगढ़)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2020.11.06 16:03:48 IST
Reason: SelfAttested

संयुक्त खातेदारी में है। उक्त आराजी का विभाजन नही हुआ है। प्रतिवादी संख्या 2 से 6 ने प्रकरण में इकबालिया जावाब पेश किया है। राज0 पैरोकार ने वाद का खण्डन नही किया है। आराजी मुतनाजा के विभाजन से प्रतिवादीगण के हितो पर कोई विपरित प्रभाव नही पडेगा। आराजी मुतनाजा पर प्रतिवादीगण का कितना हिस्सा निहित है यह तनकी संख्या 3 के विवेचन से स्पष्ट होगा। तनकी संख्या 1 के अनुसार वादी व प्रतिवादी विभाजन हेतु सहमत है। अतः आराजी मुतनाजा के विभाजन प्राप्ति के अधिकारी होने से तनकी वादी व प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 3 :–

आराजी मुतनाजा पर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 3 से 5 के नाम दर्ज है। उक्त आराजी पूर्व में राज सिंह के नाम दर्ज थी। पत्रावली पर प्रस्तुत शजरा प्रमाण पत्र अनुसार राज सिंह के 4 पुत्र है। इनमें राम सिंह पुत्र राज सिंह की विरासत दर्ज अकेले रघुवीर सिंह पुत्र राम सिंह के नाम दर्ज कर दी जबकि राम सिंह के एक पुत्र प्रताप सिंहव पुत्री कैलाश कंवर का नाम विरासत में त्रुटिपूर्ण तरीके से दर्ज नही किया गया। आराजी मुतनाजा पुश्तैनी होने से राम सिंह के हिस्से पर प्रताप सिंह व कैलाश केवर का हिस्सा भी निहित है। अतः राम सिंह के हिस्से की आराजी पर रघुवीर सिंह, प्रताप सिंह व कैलाश कंवर का नाम दर्ज करना उचित है।
इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या 3 का नाम राजस्व अभिलेख में भरत सिंह पुत्र राज सिंह दर्ज है। जबकि पत्रावली पर उपलब्ध विभिन्न दस्तावेजात में प्रतिवादी संख्या 3 का नाम गणपत सिंह पुत्र राज सिंह दर्ज है। उक्त कथन बाबत कोई खण्डन पत्रावली पर उपलब्ध नही है। वाद पत्र, जवाब व प्रतिदावा तथा उपलब्ध दस्तावेजात से दुरूस्ती के कथनों की ताईद होती है। उक्तानुसार तनकी बहक प्रतिवादी निर्णित की जाती है।

उक्तानुसार ग्राम राजगढ के खाता संख्या 229/237 किता 19 रकबा 7.80 व 313/303 किता 2 रकबा 3.24 की आराजी पर वादी का वाद व प्रतिवादी संख्या 2 से 6 का प्रतिदावा स्वीकार किया जाता है। आराजी मुतनाजा पर प्रतिवादी संख्या 3 का नाम भरत सिंह के स्थान पर गणपत सिंह पुत्र राज सिंह दर्ज किया जावे। रघुवीर सिंह पुत्र राम सिंह के 1/4 हिस्से में प्रताप सिंह पुत्र राम सिंह व कैलाश कंवर पुत्री राम सिंह का नाम भी रघुवीर सिंह पुत्र राम सिंह के साथ दर्ज किया जावे। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद कर आराजी मुतनाजा का विधिवत विभाजन प्रस्ताव समस्त सह खातेदारों के मध्य तैयार कर इस न्यायालय में पेश करे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की प्राथमिक डिक्री जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2020.11.06 16:03:48 IST
Reason: SelfAttested